



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/KNK/FE-1/30CHG08001

दिनांक -14/01/2021

प्रेषित- श्री मेघपाल सिंह, नामित खान मालिक
सर्वश्री जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
स्टील प्लांट डिविजन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ केंद्र, सिलतारा,
रायपुर(छ.ग.)-110003

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपकी **मेटाबोडली लौह आयस्क खान**(Area25.0 हे.) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 04.12.2020 by undersigned accompanied by Shri S.K.Paul, Qualified Person & Shri T. Prasanna Kumar, Mine Agent

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. कांकेर/लौह/खयो-1149/रायपुर dated 23.05.2018 and following deviation was observed during inspection 1. It was proposed that subgrade generation in 2019-20 is 237555 tons but actually 330326 tons subgrade generation reported which is more than 39% of proposal and the quantity of subgrade reported is not found dump in lease area. 2. It was observed that there is working deviation w.r.t the proposal given. Bench width is less than bench height. Bench height is more than 8-10 meters in many places whereas proposal is given for 6 meter bench height.
37(1)	The existing protective measures taken around waste dump are insufficient and it has been found that the waste material was escaping and washing away from the dumps and was contaminating the nearby area and extending outside lease boundary and no retaining wall constructed. A proper protective measure should be taken to prevent the escape of the material from the existing waste dumps.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उलंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उलंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उलंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर